सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत दीवानी न्यायालय
की शक्तियों का प्रयोग करने वाला एक संवैधानिक निकाय)

"बी" बिंग, छठा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली – 110003

**File No- Review/32/JH(Dist.-East Singhbhum)/2024-Coord**

**दिनांक 05 अगस्त, 2024 को झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा द्वारा किए गए दौरे की समीक्षा रिपोर्ट |**

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

**आयोग के दौरे के दौरान आयोग के निम्नलिखित पदाधिकारी आयोग की माननीया सदस्य(डॉ आशा लकड़ा) के साथ उपस्थित रहे :-**

| क्र. स. | नाम | पद |
|---|---|---|
| 1. | श्री पी. के. दास | अनुसंधान अधिकारी |
| 2. | श्री कुशेश्वर साहू | माननीया सदस्य के निजी सचिव |
| 3. | श्री राहुल | अन्वेषक |
| 4. | श्री सुभाशीष सोरेन | विधिक सलाहकार |
| 5. | श्री राहुल यादव | विधिक सलाहकार |

## दिनांक 05 अगस्त, 2024 को झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिले मे छात्रावासों का दौरा, अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों के साथ बैठक और पूर्वी सिंहभूम जिले के पदाधिकारियों के साथ जिले की समीक्षा बैठक

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है जो देश में अनुसूचित जनजाति के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित सभी मामलों की अन्वेषण और निगरानी करता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी प्रमुख नीतिगत निर्णयों पर आयोग से परामर्श करेगा। आयोग को भारत के माननीय राष्ट्रपति को उन सुरक्षणों के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है और ऐसी सभी रिपोर्ट संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई या की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई और ऐसी सिफारिशों के अस्वीकार करने के कारणों, यदि कोई हो, का स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखे जाने होते हैं।

### 1: अनुसूचित जनजाति बालिका छात्रावास और महिला विश्वविद्यालय, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड

सुबह 10.30 बजे आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने आयोग की टीम के साथ छात्रावास का दौरा किया जिसके दौरे की शुरुवात मे सबसे पहले माननीया सदस्य छात्राओं से मिली और उनके साथ पूरे छात्रावास का दौरा किया |

डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य ने वहां छात्राओं को अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया कि एन.सी.एस.टी अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और अधिकारों की रक्षा के लिए समर्पित है।

विश्वविद्यालय की कुलपति ने बताया कि विश्वविद्यालय में 45-50 प्रतिशत छात्र अनुसूचित जनजाति से आते हैं, जिसे ध्यान में रखते हुए छात्रावास में 100 नए बेड्स जोड़े जा रहे हैं। वर्तमान में छात्रावास में कुल 220 बेड्स हैं, जिनमें से 100 बेड्स अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की छात्राओं के लिए आरक्षित हैं। हालांकि, बेड्स के गद्दों की स्थिति ठीक नहीं है। छात्रावास की मरम्मत का कार्य पिछले 10 वर्षों से नहीं हुआ है, और रंगरोगन भी पिछले 2 वर्षों से नहीं किया गया है। छात्राओं की रुचि को देखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तकें भी विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

माननीय सदस्य ने छात्राओं के साथ संवाद किया, जिसमें आयोग के उद्देश्यों और छात्राओं के भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की गई। इस संवाद में उन्होंने छात्राओं को अधिकारों, अवसरों और विकास की दिशा में जानकारी दी, ताकि वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकें। इसके साथ ही, उन्होंने शिक्षा के महत्व और कौशल विकास पर भी जोर दिया, ताकि छात्राएँ आत्मनिर्भर बन सकें और समाज में सकारात्मक योगदान दे सकें।

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

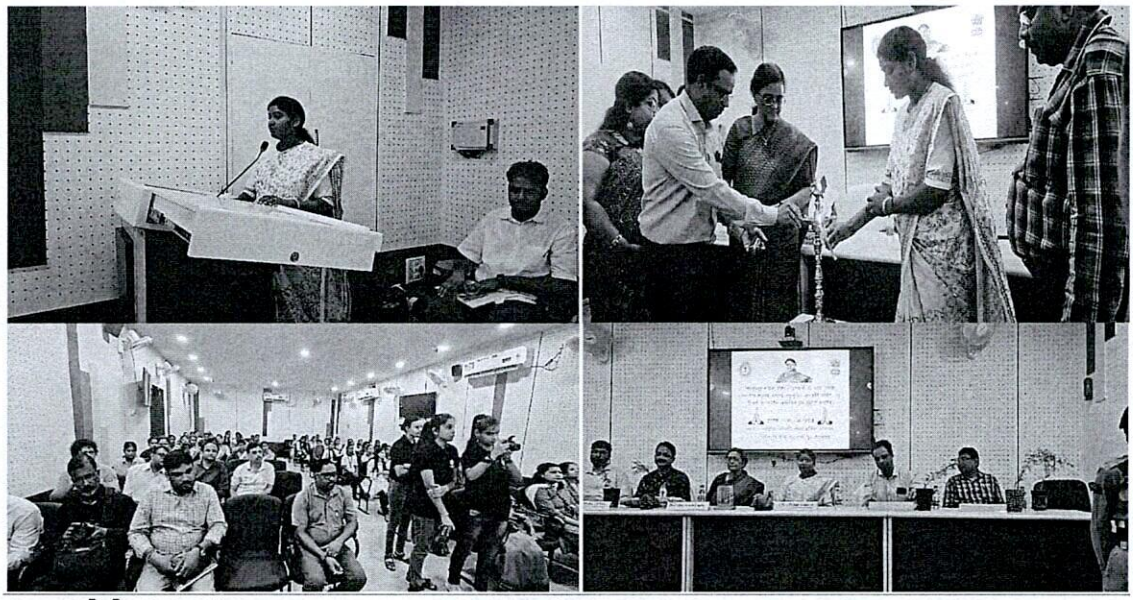

*छात्राओं के साथ संवाद*

**2:अनुसूचित जनजाति समुदायों के जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम के प्रतिनिधियों के साथ बैठक |**

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा ने वहां उपस्थित लोगों को अनुसूचित जनजाति आयोग के कर्तव्यों और शक्तियों के बारे में बताया कि आयोग अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा के लिए समर्पित है। उन्होंने भारत के संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों को प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षणों के कार्यान्वयन के निगरानी और मुल्यांकन में आयोग की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने एन.सी.एस.टी के अधिकारियों द्वारा शिकायत की जांच करने और एस.टी समुदायों की शिकायतों का समाधान करने हेतु आवश्यक कार्रवाई पर प्रकाश डालता है और सुनिश्चित करता है कि एस.टी समुदाय के अधिकारों को बरकरार रखा जाए और उनकी विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जाए।

अनुसूचित जनजाति समुदायों के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया, जिसके दौरान कई याचिका आयोग को सौंपी गयी । चर्चा के दौरान, डॉ. आशा लाकड़ा, माननीया सदस्य ने एस.टी समुदाय के सदस्यों और एसटी संघो के प्रतिनिधियों को एन.सी.एस.टी.ग्राम पोर्टल (www.ncstgrams.gov.in) के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि एसटी समुदाय के सदस्य अपनी शिकायतें आसानी से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एन.सी.एस.टी) के पास सीधे तौर पर दर्ज कर सकते है। उन्हें समस्याओं के बारे में जानकारी दी गई जिसमें सरकारी कार्यालयों द्वारा सरकारी सेवाएँ प्रदान करने में स्थानीय बुनियादी ढांचे की कमी शामिल है।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में चर्चा के दौरान, अनुसूचित जनजाति के समुदायों को प्रभावित करने वाले कई गंभीर मुद्दें की पहचान की गई जो निम्नानुसार है-

1. **राजनीतिक लाभ एवं भूमि बिक्री** :- गैर-अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा अनुसूचित जनजाति की लड़कियों से विवाह कर उनके नाम से भूमि खरीद कर दुरुपयोग और अन्य राजनीति लोभों को प्राप्त कर अनुसूचित जनजाति लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा हैं।
2. **केंद्र सरकार आवासीय योजना की सेवा प्रदान करना:** केंद्र सरकार की आवासीय योजना के अंतर्गत दी गयी सुविधाओं का सही तरीके से अनुपालन न करना, महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया है।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

3. **बालिकाओं एवम बालको के लिए जनजातीय कल्याण छात्रावासों का प्रबंधन:** बालिकाओं एवम बालको के लिए जनजातीय कल्याण छात्रावासों के प्रबंधन से संबंधित समस्याओं पर प्रकाश डाला गया।
4. **सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की समय की पाबंदी और उपस्थिति:**

**4.1** सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की समय की पाबंदी और उपस्थिति को चिंता के विषय के रूप में पहचाना गया है। शिक्षा विभाग को उपस्थिति की नीतियों का कड़ाई से पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी प्रणाली लागू करने पर विचार करना चाहिए कि शिक्षक उपस्थित हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। इससे छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

**4.2** विद्यालयों में क्षेत्रीय भाषाओं के शिक्षक नहीं हैं, जिसके कारण ड्रॉपआउट की संख्या काफी बढ़ती जा रही है। चौथी कक्षा से एक अध्याय, जो बिरसा मुंडा द्वारा बाघ मारे जाने पर आधारित था, हटा दिया गया है।

5. **अनुसूचित जनजाति की प्रवासी महिलाओं का पंजीकरण और सुरक्षा:** मानव तस्करी के मामले (वूमेन ट्रैफिकिंग) काफी जिलो में है अन्य राज्यों में काम करने वाली अनुसूचित जनजाति की प्रवासी महिला के लिए उचित पंजीकरण और सुरक्षा उपायों की आवश्यकता पर चर्चा की जाए। प्रशासन को इन व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक पंजीकरण प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए और सुरक्षा प्रोटोकॉल स्थापित करना चाहिए। प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अन्य जिलों और संबंधित एजेंसियों के साथ सहयोग आवश्यक है।
6. **अनुसूचित जनजाति की भूमि का हनन :-** जमशेदपुर जिले के दौरे के दौरान जमींन से सम्बन्धी कई मामले सामने आए है जिसमे से कई मामलो में लिखित शिकायत भी आयोग को प्राप्त हुई है जो एक बढ़ी संख्या में है यह एक गंभीर विषय है | कुछ खनन कम्पनीयों द्वारा भूमि लेने के बाद पीड़ितो को ही झूठे केस में फ़सा दिया गया है | सीएनटी एक्ट का व्यापक स्तर पर उल्लंघन हो रहा है, और न्यायालयों में इससे जुड़े सैकड़ों मामले लंबित पड़े हैं। जाहेरस्थान और श्मशान घाटों की घेराबंदी नहीं की जा रही है, जिसके कारण लगातार समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं।
7. **अन्य :** धर्मांतरण की समस्या झारखण्ड के सभी जिलों में बड़ती जा रही है, गैर –जनजाति के पुरुष से महिला विवाह कर जनजाति महिलाऐं आरक्षित पदों पर काबिज हो रही है |

**3 . अनुसूचित जनजाति के लिए विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए जमशेदपुर , पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन के उपायुक्त और अन्य अधिकारियों के साथ दिनांक 05.08.2024 को डॉ. आशा लाकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली के द्वारा समाहारणालय सभा कक्ष (जमशेदपुर)में बैठक की गई।**

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

आरंभ में उपायुक्त ने डॉ. आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, श्री पी.के.दास, अनुसंधान अधिकारी, श्री राहुल, अन्वेषक, श्री सुभाशीष सोरेन, विधिक सलाहकार, श्री राहुल यादव, विधिक सलाहकार का स्वागत किया। इसके बाद, विभाग-वार आधार पर चर्चा आयोजित की गई। उपस्थित प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी ने डॉ. आशा लाकड़ा, माननीय सदस्य, एनसीएसटी को अपना परिचय दिया। इन परिचयों के बाद आयोग ने जमशेदपुर जिला प्रशासन के विभिन्न विभागों द्वारा प्रशासित विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का गहन समीक्षा किया। इस समीक्षा का उद्देश्य इन योजनाओं की प्रभावशीलता, पहुंच और प्रभाव का मूल्यांकन कर यह सुनिश्चित करना था कि जिले में अनुसूचित जनजातियों की वांछित उद्देश्यों और जरूरतों को पूरा करें।

---

**अवलोकन और सिफारिशें -**

जमशेदपुर जिले के उपायुक्त को 57 प्रश्नों वाली एक प्रश्नावली भेजी गई थी, जिसमें जनसांख्यिकी, साक्षरता, स्वास्थ्य, कौशल विकास, वित्तीय समावेशन आदि जैसे विभिन्न विषय को शामिल किया गया था। जिला प्रशासन ने इस प्रश्नावली के उत्तर प्रदान किए। निम्नलिखित टिप्पणियाँ और अनुशंशाए जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराए गए ऑन-साइट तथ्यों और आंकड़ों के साथ-साथ इन प्रतिक्रियाओं पर आधारित हैं।

1. **स्वास्थ विभाग :- 1.1** जिले में कुल कितने स्वास्थय केन्द्र है। कुल डॉक्टरों का स्वीकृत पद के विरूध में वर्तमान कितने कार्यरत है। GNM ANM एवं सहिया तथा आस्था र्वकर उक्त सभी का प्रतिवेदन Male/Female साथ ही उसमें से अनुसूचित जनजाति के कितने कर्मी है कि प्रतिवदेन आयोग को उपलब्ध कराए । साथ ही जिले में कुल कितने व्यक्तियों को आर्य आन योजना अंतर्गत लाभ पहुँचाया गया है। जिसमें से ST.SC,BC, MINO कोटिवार आकड़ा उपलब्ध कराये ।

   **1.2** बहरागोड़ा एवं चाकुलिया मुख्यालय से अधिक दुरी होने के कारण गर्भवति महिलाओं को असुविधा होने के कारण उक्त प्रखण्डों में कैंप कर दवा वितरण किया जाए। साथ ही मुसाबनी प्रखण्ड में HCL फैक्ट्री होने के कारण जलजनित एवं वायु प्रदुषण से अधिक बिमारी फैलने की सम्भवना को देखते हुए उक्त क्षेत्र में महीना में कम से कम दो तीन बार बजार के दिनों में शिविर लगा कर रोगियों का ईलाज करते हुए आयोग को रिपोर्ट उपलब्ध कराए। लोगों को जागरूक करने हेतु चिकित्सा से सम्बंधित प्रचार - प्रसार हिन्दी एवं अंग्रेजी में किया जाना चाहिए ।

2. **शिक्षा विभाग :- 2.1** सभी संकुल स्तर पर बच्चों के कौशल विकास हेतु वादविवाद-, Orientation Program कराने, बच्चों का ड्रॉपआउट रोकने उनसे संबंधित प्रमाणित आंकड़े आयोग को प्रस्तुत ) (करें, खेलकूद का आयोजन कराने, प्रखंड स्तर पर शिक्षकों को प्रशिक्षण देने, अवस्थित विद्यालय भवन को ठीक कराने एवं नई शिक्षा नीति के अनुसार प्रत्येक 5 कि की दूरी में .मी.01 उच्च विद्यालय का प्रस्ताव विभाग को भेज | नई शिक्षा नीति के अनुसार के विधार्थियों को स्थानीय भाषा में शिक्षा 5 से 1 प्रदान करें पर जो दिया जाना चाहिए |

   **2.2** जिला में कुल कितने प्राथमिक, उच्च विद्यालय एवं प / मध्य /प्लस टु विद्यालय एवं आवासीय विद्यालय है। उक्त विद्यालयों में कुल कितने छात्रछात्राएँ नामांकित है। जिसमें से कुल कितने - अनुसूचित जनजाति के छात्र boys छात्राए नामांकित है।-/girls के साथ आकड़ा उपलब्ध कराएं। विद्यालयों में कुल कितने शिक्षक नियुक्त है। जिसमें सहायक अध्यापक अंशकालीन शिक्षक का / आकड़ा उपलब्धकराएं । बीच बीच में छात्रछात्राओं के बीच विभिन्न तरह के प्रतियोगिता कराने / का निदेश दिया गया है। साथ ही प्राथमिक विद्यालय में कर्यरत शिक्षकों को प्रमोशन सम बंधित कार्रवाई की जानी चाहिए।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

3. **कल्याण विभाग :-** कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के संबंध में जिला कल्याण पदाधिकारी, द्वारा सूचित किया जाए की वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल कितने लाभार्थियों को साइकिल का वितरण किया जा चूका है और शेष कितने रहे गये है। छात्रावासो में से कुछ का दौरा किया गया था जिनकी समस्या ऊपर उल्लेखित है और अन्य में मूलभूत सुविधाओं की कमियों को देखते हुए, समय समय पर- निरीक्षण और सुधार की जरूरत है और जिन छात्रावास की क्षमता से अधिक छात्र एवं छात्रांए रहते है इनकी क्षमताओं में बढोत्तरी की जा सकती है ।

**3.**1 पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत वितीय वर्ष-2022-23 एवं 2023-24 में कुल जाहेरस्थानों का घेराबन्दी एवं आदिवासी संस्कृति कला केन्द्र धमकुड़िया माझी हाउस, मसना, हडगड़ी, बिरसा आवास, कब्रिस्तान घेराबन्दी, छात्रवृति से सम्बंधित आकड़े आयोग को प्रस्तुत करें | जवाहरनगर, मानगो में जाहेरस्थान घेराबन्दी नहीं होने के करण उक्त जमीन का अतिक्रमण किये जा रहा है। उक्त स्थल का घेराबन्दी करने की जरूरत है। गुडाबान्दा प्रखण्ड अंतर्गत आसनबनी, चिरूगोड़ा, बाटुनमोटो एवं चारशोल खेल मैदान का NOC वन प्रमण्डल के साथ समन्वय स्थापित कर किया जा सकता है |

4. **समाज कल्याण :-** जिले में CDPO एवं पर्यवेक्षक के सृजित पद की संख्या, कुल आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या, अपने भवन की स्थिति, और सामुदायिक भवन में चल रहे केंद्रों की संख्या को आयोग को अवगत कराएं। धात्री माताओं, गर्भवती महिलाओं, और बच्चों की संख्या, जिनमें अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या भी शामिल हो, की जानकारी दें। गर्भवती महिलाओं, धात्री महिलाओं, और बच्चों को वितरित पोषाहार की जानकारी प्रस्तुत करें। ऐसे गांव और बस्तियों की पहचान करें जहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं हैं और 30-35 परिवार रहते हैं। जिले में सेविका-सहायिका की संख्या, अनुसूचित जनजाति की सेविका-सहायिका का विवरण, और चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। उच्च शिक्षाधारी प्रतिभागियों को प्राथमिकता दें और आंगनबाड़ी केंद्रों को प्ले स्कूल के रूप में विकसित करें। कुपोषित बच्चों के लिए प्रखंड मुख्यालयों में शिविर लगाएं और Healthy Baby कार्यक्रम आयोजित करें। सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना के तहत शत-प्रतिशत योग्य लाभार्थियों को अच्छादित कर आयोग को सूचित करें।

5. **आपूर्ति विभाग:-** जिले में कुल कितने लोगो को राशन दिया जा रहा है एवं उसमें अनुसूचित जनजाति कितने है। अनुसूचित जनजाति के कुल कितने सदस्यों का राशन कार्ड बना है, तत् संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध करवाएं | आगामी दुर्गापूजा, छठ आदि त्योहार के पूर्व सभी कार्डधारियों को समय पर राशन की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाए ताकि पर्व त्योहार में किसी को असुविधा नहीं हो। जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों द्वारा कार्डधारियों को मात्र से कम में अनुपात में राशन दिया जाता है | इस विषय में सम्बंधित विभाग कार्रवाई कर आयोग को अवगत कराये |
6. **पेयजल स्वच्छता विभाग :-** ऐसे क्षेत्र जहाँ PVTG के सदस्य निवास करते है। ऐसे क्षेत्रों खासकर मुसाबनी प्रखण्ड अंतर्गत फेक्ट्री होने के कारण पानी दुषित हो गया है। उक्त क्षेत्रों का पानी का गुणवत्ता का जाँच की जानी चाहिए |
7. **सांख्यिकी विभाग** :- जिले में कुल कितना जनसंख्या है। जिसमें अनुसूचित जनाजाति की संख्या कितना है एवं कुल कितने राजस्व ग्राम एवं पंचायत है। आयोग आकडे प्रस्तुत करें |
8. **मनरेगा** :- मनरेगा अंतर्गत बिरसा हरित का लाभार्थी कितने है। जिसमें से अनुसूचित जनजाति कितने है। फलदार वृक्ष कितने है। बिरसा कुप का कुल कितना लक्ष्य है। जहाँ कुप निर्माण सम्भव नहीं है, वहीं उक्त योजना के जगह डीप बोरिंग के लिए क्या कदम उठाएं गए या प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है. जिले में कुल कितने अम्बेदकर आवास, अबुआ आवास, पी०एम० आवास का लक्ष्य के अनुरूप कितने आवासों का निर्माण हुआ। जिसमें से अनुसूचित जनजाति को कितना आवास दिया गया है मनरेगा अतर्गत कितने अनुसूचित जनजाति को जॉब कार्ड दिया गया है। सभी के आकडे आयोग को प्रस्तुत किये जाये |

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

9. **वन विभाग** - वन भूमि जो समतल हो ऐसी भूमि को जिला प्रशासन के साथ समन्वय कर, खेल मैदान में परिवर्तित करें और गाँव में जहाँ खेल का मैदान न हो युवाओं को खेल से जोड़े। वन अधिकार कानून, तथा वन विभाग से आदिवासी समाज को किन-किन योजना से लाभान्वित किया जा सकता हैं, के संबंध में जानकारी आयोग को प्रदान करें | योजनाबद्ध तरीके से अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु मुहिम चलाना सुनिश्चित करें। प्रखण्डों को वन प्रमण्डल द्वारा पेड़ लगाने हेतु कितना पौधा उपब्लध कराया गया।
10. **गव्य विभाग** : सुअर पालन एवं बकरी पालन में अधिकतर संख्या में जीव मर जाता है ऐसे पशुओं का वितरण किया जाए जो स्थानीय नस्ल के हों और पर्यावरण के अनुकूल हों।
11. **मत्सय विभाग :-** कितना बंदोबस्ती हुआ है और विभाग द्वारा लोगों को किन-किन योजनाओं के अंतर्गत लाभ दिया जा रहा है आयोग को अवगत कराएं |
12. **पुलिस विभाग :-** सभी थानों में SC/ST Atrocity Act केश दर्ज किए जा सकते है । थाना में FIR Dairy Maintain नहीं किया जा रहा है। जिले में कुल कितने महिला पुलिस कर्मी है। जिसमें अनुसूचित जनजाति महिला पुलिस कर्मी कितने है। हर थाना में SC/ST केश का संधारण किये जा सकते है । साथ ही विगत 10 वर्षों से अनुसूचित जनजाति पुलिस कर्मियों का प्रोन्नति नही दिया गया है उक्त संम्बंध में रोस्टर तैयार करें | जिस गाड़ी का समय काल 15 साल से ऊपर हो गया है उसे कंडम घोषित कर सकते है |
13. जिला स्तर पर एक **आतंरिक शिकायत सेल (Internal Grievance Cell**) गठन करते हुए अनुसूचित जनजाति के पदाधिकारी / सहायक की प्रतिनियुक्ति करें, और जिससे छोटे-मोटे शिकायत जिला स्तर पर ही निष्पादित किया जा सकें, ऐसे मामले आयोग के पास न पहुँचे, संज्ञान में न आयें, ध्यान रखने की आवश्यकता हैं।

**जिला प्रशासन के सभी विभागों के अपने संबंधित पंचायतों और ब्लॉकों से अनुसूचित जनजातियों से संबंधित लाभार्थियों की स्पष्टता से पहचान करते हुए विस्तृत श्रेणीबद्ध डेटा का रख-रखाव करने की सलाह दी जाती है। आयोग ने इन मुद्दों के त्वरित और प्रभावी उपाय करने की आवश्यकता पर जोर दिया तथा जिला प्रशासन से सिफारिशों पर कार्रवाई करने का अनुरोध किया।**

***

आशा लकड़ा
16/10/2024

(डॉ आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi